बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांकः 6/रा0ग्रा0पे0यो0–1014/14– 2277 पटना, दिनांकः– 21.11.14

सेवा में,

महालेखाकार

बिहार, पटना।

विषयः **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (Flexi Fund) अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ के दौरान अथवा गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की सुविधा मोबाईल वैन पर अधिष्ठापित कुल 20 अदद वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट (तीन माह के ट्रायल रन एवं बारह माह के लिए प्यूरिफिकेशन यूनिट के रख–रखाव के साथ) के द्वारा करने हेतु 111.10 लाख (एक करोड़ ग्यारह लाख दस हजार रूपये मात्र) की राशि पर प्रस्तुत योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।**

आदेशः राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (Flexi Fund) अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ के दौरान अथवा गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की सुविधा मोबाईल वैन पर अधिष्ठापित कुल 20 अदद वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट (तीन माह के ट्रायल रन एवं बारह माह के लिए प्यूरिफिकेशन यूनिट के रख–रखाव के साथ) के द्वारा करने हेतु 111.10 लाख (एक करोड़ ग्यारह लाख दस हजार रूपये मात्र)की राशि पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। योजना का विवरण परिशिष्ट– I संलग्न है।

2. भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) अन्तर्गत ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना की लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। तद्नुसार प्रस्तावित योजना में रू0 55.55 लाख रूपये केन्द्रांश के रूप में भारत सरकार एवं शेष राशि रू0 55.55 लाख रूपये राज्यांश के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

3. परिशिष्ट– I में अंकित योजनाओं की लागत राशि में केन्द्रांश मद की राशि (50%) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को विमुक्त राशि से बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (BSWSM) के NRDWP, Programme Fund के बैंक बचत खाता संख्या 31458965548 में उपलब्ध कराकर योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को विमुक्त की जाएगी।

4. इस योजना पर होनेवाले केन्द्रांश मद की राशि (50%) राशि का व्यय योजना बजट शीर्ष 4215– जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय–01– जल पूर्ति–102 ग्रामीण जल पूर्ति– माँग संख्या –36 –उप शीर्ष –0230– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम– विपत्र कोड–P4215011020230– विषय शीर्ष–53 01– मुख्य निर्माण कार्य एवं राज्यांश (50%) राशि का व्यय योजना बजट शीर्ष 4215– जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय–01– जल पूर्ति–102 ग्रामीण जल पूर्ति– माँग संख्या –36 –उप शीर्ष –0330– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम– विपत्र कोड–P4215011020330– विषय शीर्ष–53 01– मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

5. इस योजना के अन्तर्गत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पटना पश्चिम होंगे। राशि की निकासी कोषागार, पटना से की जायेगी। योजना पर होनेवाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा।

6. इस राशि में से स्थापना पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

7. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

8. योजना एवं गैर –योजना मद में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम4–53/2007– 96 वि0 (2), दिनांक 03.01.08 के आलोक में योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

9. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनु0– यथोपरि।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

21.11.14

(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक: 2277 पटना, दिनांक– 21.11.14

प्रतिलिपि:–

1. अनु0 सहित वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय, विभाग, बिहार, पटना/कल्याण विभाग/जिला पदाधिकारी, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. अनु0 सहित अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव/ मुख्य अभियंता (नागरिक)/ मुख्य अभियंता (रूपांकन)/ सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/ अधीक्षण अभियता (मो0)/विशेष पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता (मो0/मू0)/निदेशक (पी0एम0यू0)/निदेशक (सी0सी0डी0यू0)/उप निदेशक, (मूल्यांकन)/सहायक अभियंता (मो0) (दो प्रतियों में)/ सहायक अभियंता (मू0)/प्रशाखा–4 एवं प्रशाखा–6/कम्प्यूटर प्रोग्रामर/आई0टी0, मैनेजर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अनु0 सहित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना/ अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0– यथोपरि।

21.11.14

(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

आई. टी. मैनेजर

(1)

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (Flexi Fund) अन्तर्गत मोबाईल वैन पर अधिष्ठापित वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट योजना का विवरणी।				
क्र0 सं0	योजना का नाम	कुल युनिट	प्रति यूनिट लागत	कुल प्राक्कलित राशि
			(राशि लाख में)	
1	मोबाईल वैन पर वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट का अधिष्ठापन	20	5.50	110.00
आकस्मिकता 1 %				1.10
कुल				**111.10**

(एक करोड़ ग्यारह लाख दस हजार रूपये मात्र)

Technical approval accorded for Rs. 111.10 lakhs only
(Rs. one crore eleven lakhs ten thousands only)

08/9/14

(वीरेन्द्र कुमार)
मुख्य अभियंता (ना0)

35 वेट